Witness No. 1 For अभियोजन साक्षी Deposition taken the 09.11.2022 day of बुधवार Witness's apparent age 50 साल

States on affirmation शपथपूर्वक my name is भगतराम

son of श्री तुलसीराम सतनामी occupation कृषि

addres कृषिs ग्राम–कुदरी, थाना डभरा, जिला– सक्ती, छत्तीसगढ़

Case No. 569/2022

आज दिनाँक 09.11.2022 को समय 04.11 बजे साक्षी को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री श्याम कुमार गुप्ता ए.डी.पी.ओ.

1. मै अभियुक्त को पहचानता हूँ क्योकि वह मेरा बडसाला है। घटना के बारे मे कोई जानकारी नहीं है। आज से दो–तीन माह पूर्व चौकी फगुरम से मुझे फोन करके बुलाया गया तब मै फगुरम चौकी गया था तब पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त हस्ताक्षर मैने पुलिस वाले के कहने पर किया था। पुलिस वाले के द्वारा मेरे समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया गया था।

2. धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी.1, जप्ती पत्रक प्र.पी.2 के अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

नोट– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा अपने गवाह से प्रतिपरीक्षण स्वरुप के प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई, सुना गया, गवाह के कथन एवँ अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरुप प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई।

3. यह कहना गलत है कि दिनांक 18.08.2022 को ग्राम भदरी भाठा मे आरोपी से एक प्लास्टिक के थैला मे भरी 18 पाव गोवा विक्सी सभी मे 180 एमएल भरी कांच की शीशी मे, 16 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब सभी मे 180 एमएल भरी कांच की शीशी मे शराब कीमती रकम 6.12 बल्क लीटर जप्त किये थे। यह कहना गलत है कि पुलिस वाले धारा 160 द.प्र.सं. का

नोटिस दिये थे। यह कहना गलत है कि आरोपी मेरा बडसाला है इसलिए आज न्यायालय मे सही बात नहीं बता रहा हूँ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एल.एन. देवांगन वास्ते अभियुक्त</u>

4. यह कहना सही है कि मेरे समक्ष पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं किये थे केवल मैने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किया था। यह कहना सही है कि पुलिस वालों के कोई बयान नहीं दिया था।

साक्ष्य समाप्ति समय 04.21 पी.एम.

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

....

सही/–
(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

सही/–
(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)